कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,पंचकूला

आदेश कमांक 12/76-2021 प्रशा0 (4) दिनांक, पंचकूला 06/10/2023

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र कमांक नं0 3/7/2002–3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 25.09.2023 जोकि अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना–1985 के अर्न्तगत फार्म–1 में उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर/नियमित पदोन्नति होने पर फार्म–11 में इन्रोलमैंट सम्बन्धित सूचना भेजने से सम्बंधित है, निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं हिदायतों की दृढता से पालना हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुरुग्राम।
3. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
4. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
5. रजिस्ट्रार शिक्षा (सैकेण्डरी)।
6. अधीक्षक लेखा शाखा मुख्यालय।
7. अधीक्षक प्रशासन का0 मौलिक शिक्षा निदेशालय।
8. मुख्यालय की सभी स्थापना शाखाओं के अधिकारी/अधीक्षक सैकेण्डरी।
9. पी0ए0/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
10. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–1।
11. पी0ए0/संयुकत निदेशक संस्कृति माडॅल स्कूल।
12. पी0ए0/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
13. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक शैक्षिक।
14. प्रशासन शाखा के सभी सहायक।
15. आई0टी0 सैल (मुख्यालय)।

5/10/23

अधीक्षक प्रशासन
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

e mail received 7301 Add(4) 27/9/23

अति आवश्यक

3/7/2002–3एन0जी0आई0एस0
हरियाणा सरकार
मानव संसाधन विभाग
(एन0जी0आई0एस0 शाखा)

सेवा में

दिनांकः 25.09.2023

1 सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
2 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
3 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गॉव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
4 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
5 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा
6 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

विषयः– अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना–1985 के अन्तर्गत फार्म–I में तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर/नियमित पदोन्नति होने पर फार्म–II में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे ।

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र कमांक 3/7/2002–3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 15–02–2023 (मूलपत्र दिनांक 29–10–2002) की ओर दिलाउं और सूचित करूं कि प्रायः यह देखने में आया है कि बहुत कम विभागों द्वारा फार्म–I तथा II में इन्रोलमेंट से सम्बन्धित सूचना सरकार को भेजी जा रही है । इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि जिन विभागों द्वारा यह सूचना भेजी जा रही है वह जी0आई0एस0 की हिदायतों तथा नियमों को ध्यान में रखकर नहीं भेजी जाती है । आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाईन करने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती बारे जारी हिदायतें कमांक 1/5/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 13–10–1989 के पैरा–3 तथा ग्रुप सी, बी, ए के अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाईन करने पर जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना हिदायतों कमांक 1/23/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2–1–1990 के तहत फार्म–I में भरकर सरकार को भेजी जाए तथा उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि भी दर्शाई जाए । अधिकारियों/कर्मचारियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में नियमित पदोन्नत होने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना–1985 के नियम 5(2) तथा हिदायतों कमांक 1/23/89–1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2–1–1990 के अंतर्गत [जनवरी (वर्षगांठ) से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी की जी0आई0एस0 की कटौती करके] फार्म–II में भरकर सरकार को भेजी जाए ।

2 आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी डी0डी0ओज0 को निर्देश दें कि वे समय–समय पर फार्म–I तथा फार्म–II में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना अपने विभागाध्यक्षों को अवश्य भेजते रहें और विभाग यह सुनिश्चित करे कि सूचना चेक करने के उपरान्त ही सरकार को भेजी जाए तथा उक्त बताए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ताकि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नियमित तौर पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों के सही आंकडों तथा उनकी सही तरह से की गई जी0आई0एस0 की कटौती का सरकार को पता चल सके।

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ0 कमांक 3/7/2002–3एन0जी0आई0एस0 दिनांक, चण्डीगढ़, 25 सितम्बर 2023

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:–

1 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।
2 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।